



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)  
PART II—Section 3—Sub-section (1)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 316] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 21, 1992/आषाढ़ 30, 1914  
No. 316] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 21, 1992/ASADHA 30, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

*Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation*

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 21 जुलाई 1992

सा का. नि. 682(अ) :- कांड़ला पत्तन के खासी मंडल के गठन से संबंधित भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सा. का नि. सं 397(अ) दिनांक 31-3-1992 के धरु में निम्नलिखित नोट शामिल किया जाए, अर्थात :-

2. "नोट : विशेष अनुमति याचिका सं. 1990 की 2764 तथा 1990 की 4226 पर मुख्यतः उच्च न्यायालय के दिनांक 5-12-90 के प्रादेशानुसार क्रम सं. (10) और (11) के सामने चलते में नियोजित श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले न्यायियों का कार्यकाल, 31-3-93 को समाप्त होगा।"

[फा. सं. पी.टी.-18011/6/91-पी. टी.]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

### CORRIGENDUM

New Delhi, the 21st July, 1992

G.S.R. 682(E).—In the Government of India, Ministry of Surface Transport notification G.S.R. No. 387(E), dated 31-3-1992 relating to constitution of Port Trust Board of Kandla Port, the following note may be added at the end of the Notification, namely :—

2. "Note :—The tenure of the Trustees representing labour employed in the Port appearing at S. No. (10) and (11) will end on 31-3-1993 in terms of the order, dated 5-12-1990 of High Court of Gujarat in special leave application No. 2764 of 1990 and 4226 of 1990".

[F. No. PT-18011/6/91-PT]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.